न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी

B.P. No.-543/2026

सुनील यादव बनाम बिहार सरकार

[सिवान नगर थाना कांड सं0 474/2026]

आदेश

25.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **सुनील यादव पे0 दिलीप यादव** जो इस मामले में दिनांक **02.05.2025** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 543/2026, सिवान नगर थाना कांड सं0 474/2026, अंतर्गत धारा–281, 103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–27 आयुध अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार नम्बर–3 एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 29.04.2026 को सूचक को अपनी भगिनी का तिलक(फलदान) लेकर जाना था। इस अवसर पर सूचक भी अपनी भांजी के घर आंदर ढाला कमलाप्रेस गए हुए थे। समय संध्या करीब 6:30 बजे स्टेशन की तरफ से एक सफेद कलर का हुन्डई कम्पनी का Venue कार आई और सड़क के किनारे खड़े महेन्द्रा कंपनी की थार गाड़ी में पीछे से धक्का मार दिया। जिसे लेकर सूचक के बहनोई आशुतोष कुमार चंदन एवं भगीना हर्ष कुमार के बीच सफेद हुन्डई गाड़ी वालों से काफी विवाद होने लगा। सूचक उपर छत की बालकोनी से देख रहे थे। इसी बीच उक्त गाड़ी से पांच लड़के उतरे और विवाद करने लगे। सूचक बालकोनी से ही आवाज दिए कि तुम लोग झगड़ा मत करो। इसी बीच सोनू यादव, छोटू यादव, अंकित यादव उर्फ नितेश यादव, गुड्डू यादव एवं एक अन्य व्यक्ति जो वाहन चला रहा थे जिसे सूचक देखकर पहचान लेंगे। इन सभी ने बोला कि सोनू क्या देखते हो। गाड़ी से हथियार निकाल कर जान से मारो सालो को तब तक तुरंत सोनू यादव हथियार निकाला और निशाना लगाकर जान मारने की नियत से सोनू ने सूचक के बहनोई आशुतोष कुमार चंदन को मारा जो वहीं पर गिर गए। फिर भगीना हर्ष कुमार को भी निशाना साध कर मारा जिनके सीने में गोली लगी और वह भी जमीन पर गिर गया तथा बुरी तरह जख्मी हो गया। तत्पश्चात् सभी अपराधी उसी सफेद हुंडई कि Venue कार में सवार हो कर हुसैनगंज की तरफ भाग गए। उसके बाद सूचक एवं अन्य सभी रिश्तेदार दोनों जख्मी को उठा कर सदर अस543पताल सिवान ले गए। जहां डॉ0 ने सूचक के भगीना हर्ष कुमार को मृत घोषित कर दिया तथा बहनोई आशुतोष कुमार चंदन को बेहतर ईलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक प्राथमिकी के नामित अभियुक्त हैं और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है एवं गांव की गंदी राजनीति के कारण उसे इस झूठे मामले में फंसाया गया है। आवेदक की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-543/2026
सुनील यादव बनाम बिहार सरकार
[सिवान नगर थाना कांड सं0 474/2026]

25.06.2026

लगातार

आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक द्वारा कोई घटना कारित नहीं किया गया है और आवेदक को केवल वाहन के मालिक और चालक होने के कारण इस झूठे मामले में फंसाया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसके विरूद्ध सिर्फ सह–अभियुक्त छोटू यादव के स्वीकारोक्ति बयान के अलावा अन्य कोई सुबूत नहीं है। आवेदक के विरूद्ध स्पष्ट आरोप नहीं है। आवेदक अभियोजन के द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार कोई भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि शत्रुओं के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस को प्रभावित करने और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए सुनियोजित तरीके से यह मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप झूठा, आधारहीन एवं अविश्वसनीय है। आवेदक के पास से किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वस्तु को बरामद नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में जप्त किए 543गए वाहन के स्वामी होने के कारण इस मामले में घसीटा गया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिवान नगर थाना कांड सं0 474/2026, अंतर्गत धारा–281, 103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–27 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के भगीना हर्ष कुमार एवं बहनोई आशुतोष कुमार चंदन के साथ मारपीट करने एवं मारपीट के दौरान गोली मारने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है, जिसमें हर्ष कुमार की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई एवं आशुतोष कुमार चंदन की मृत्यु ईलाज के दौरान पी0एम0सी0एच0, पटना में हो गई। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 11 में वादी का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 12 एवं 13 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें सभी साक्षियों ने भी घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 35 में प्राथमिकी के नामित अभियुक्त सुनील यादव के स्वयं का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें उसने घटना में अन्य सह–अभियुक्तों की मदद की थी और खुद भी घटना में

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>B.P. No.-543/2026</u>
सुनील यादव बनाम बिहार सरकार
[सिवान नगर थाना कांड सं0 474/2026]

<u>25.06.2026</u>
लगातार

शामिल होने की बात कही है। इस प्रकार से आवेदक की घटना में सक्रिय संलिप्तता रही है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 97 मृतक हर्ष कुमार के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संबंधित है जिसमें चिकित्सक ने मृत्यु का कारण आग्नेयास्त्र के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव का बताया है। आवेदक के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति व उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **सुनील यादव** की तरफ से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 11.05.2026 उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 25.06.2026

Date of Order/Judgment	25.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	25.06.2026
Uploading Date	02.07.2026
Uploaded By	RAVI KANT